प्रेस नोट

जनपद हमीरपुर **दिनाँक-15.06.2024**

अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा थाना जरिया गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में अपराधी महेन्द्र पुत्र तीरथ सिंह निवासी ग्राम पचखुरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किए गए अपराधी का विवरण:-

1) महेन्द्र पुत्र तीरथ सिंह निवासी ग्राम पचखुरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दिनांक 11.06.2024 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।